न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—297/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/297)

1. कैलाशी देवी पत्नि स्व0 रामेश्वर
2. विष्णुकुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर
3. दिलखुश पुत्र स्व0 रामेश्वर
4. सुनिता पुत्री स्व0 रामेश्वर
5. पूजा पुत्री स्व0 रामेश्वर

समस्त जाति माली, निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. गुदड उर्फ गुदडमल पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी बघेरा, तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. लक्ष्मण पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत, निवासी थली मोड बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 05.09.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 123/2023(2023/06).

उपस्थितः—

1. श्री कुलदीपसिंह अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री शंकरलाल जाट अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री एस0पी0औझा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—30.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2023 (2023/06) में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया कैलाशी देवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा खसरा संख्या 2331 रकबा 0.81 है0 की खातेदारी चाही गई तथा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भी एक पत्र प्रेषित कर खसरा संख्या 2331 की खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने उक्त वाद का निस्तारण दिनांक 30.6.2017 को करते हुए खसरा संख्या 2331 पर प्रार्थीया का कब्जा मानते हुए यदि भविष्य में आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया जाता है तो सर्व प्रथम प्राथमिकता प्रार्थीया को प्रदान की जाएगी, अपने निर्णय में यह अंकित किया है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

251 ए राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रकरण दर्ज करने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.12.2021 को निर्णय करते हुए तहसीलदार केकडी को ग्राम बघेरा के खसरा संख्या 2326/5379, 2330 एवं 2331 में से रास्ता दिए जाने के आदेश प्रदान कर दिए। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी के कब्जे के खसरा संख्या 2331 में से रास्ता स्वीकृत कर दिया जिस पर नए खसरा संख्या 6628/2331 मुर्तिब किए गए तथा प्रार्थी के कब्जे का खसरा संख्या 6627/2331 हुए। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपील का निस्तारण करते हुए प्रकरण को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.1.2023 को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी केकडी ने पुनः प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार केकडी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किए। जिस पर मौका रिपोर्ट दिनांक 3.8.2023 को प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए खसरा संख्या 6628/2331 के पूर्वी मेर पर पारित 15 फिट के रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में तरमीम है जिस पर वर्तमान में पत्थर की दीवार बनी हुई है जिसे तहसीलदार केकडी को खुलवाने के आदेश प्रदान किए गए तथा पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.12.2021 में खसरा संख्या 2330 में दर्ज 15 फिट रास्ता की तरमीम हटाने बाबत आदेश दिनांक 5.9.2023 को प्रदान कर दिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2023 (2023/06) में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थीया को बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दिनांक 5.9.2023 को पारित किया है, वह पूर्णतया विधि विधान के प्रतिकूल है, खसरा संख्या 2331 की भूमि बाबत पूर्व में प्रार्थीया द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थीया ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी, तत्पश्चात इस भूमि बाबत स्वयं उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दिनांक 30.6.2017 को निर्णय पारित कर खसरा संख्या 2331 में 0.81 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीया का भौतिक धारण मानते हुए भूमि जब भी आवंटन की जावे तो भविष्य में प्रार्थीया को प्राथमिकता से आवंटन किए जाने का निर्देश प्रदान किया था, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को पक्षकार बनाये बिना जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। पूर्व में स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आबादी भूमित पर काबिज व्यक्ति को पक्षकार बनाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया या, ऐसी स्थिति में मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त प्रार्थीया को बिना पक्षकार बनाये की गई कार्यवाही पूर्णतया विधि विपरीत है तथा खेत पर प्रार्थीया द्वारा बनाई गई पत्थरों की दीवार को हटाये जाने का निर्देश देते हुए इस बिन्दू को पूर्णतया नजर अंदाज किया कि उनके न्यायालय में पूर्व में चले

प्रकरण में प्रार्थीया की आवंटन बाबत प्राथमिकता मानते हुए प्रकरण का निस्तारण किया था, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी, इसके बावजूद उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, इस कारण उनके द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु जो रास्ता पूर्व में प्रचलित रहा है, इस बाबत जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया गया तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते के रहते हुए खसरा संख्या 2327 नई सडक बन जाने से वहां से रास्ता लेने हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया गया, इस क्रम में स्वयं राजस्व अधिकारीयों ने मौका रिपोर्ट तैयार करते समय इस बिन्दू को पूर्णतया नजर अदांज कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चाहे गये अनुतोष के रूप में मौका रिपोर्ट बनाई गई तथा सारवान तथ्यों को छिपाया गया तथा जानबूझ कर प्रार्थीया की भौतिक रिपोर्ट में तथ्य अंकित नहीं किए गए, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2023 (2023/06) में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम बघेरा के खसरा संख्या 2339/5381 रकबा 0.49है प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 6627/2331 किस्म सिवायचक भूमि की पूर्वी मेरे से अवागमन कर रहा था जो गत 5–7 वर्षों से बंद पड़ा है। खसरा संख्या 2327 किस्म गै.मु.सडक बघेरा से टोडारायसिंह राज्यमार्ग से नवीन स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 6628/2331 रकबा 0.0216 है0 से होकर आवागमन सुविधाजनक है प्रार्थी द्वारा आबादी भूमि में से पारित रास्ते को नहीं लेने के संबंध में सहमति जाहिर की तथा सिवायचक भूमि खसरा नंबर 6628/2331 की पूर्वी मेर पर पारित 15 फीट के रास्ते को उपयोग में लेने पर सहमति जाहिर की है। जो पुर्व आदेश उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दिनांक 16.12. 21 से 251 क के तहत पूर्व में ही रास्ता पारित किया गया था। जिसकी डी.एल.सी जमा होकर नक्शे में तरमीम हो चुकी है। वर्तमान में 6628/2331 रकबा 0. 0216 गै. मु.रास्ता में मौके पर सूख पत्थरों की दीवार बनी हुई है। जिसे हटाकर रास्ता खुलाया करवाना आवश्यक है जिससे प्रार्थी की सहमति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए व तहसीलदार केकडी द्वारा रास्ता खुलासा किए जाने व पूर्व में आदेश दिनांक 16.12.2021 में खसरा संख्या 2330 किस्म गै0मु0 आबादी में दर्ज 15 फीट रास्ते की तरमीम हटाए जाने के आदेश पारित किए

गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किया गया कि खसरा संख्या 2331 की भूमि बाबत पूर्व में प्रार्थीया द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थीया ने माननीय मुख्यमंत्री से भूमि खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी, तत्पश्चात इस भूमि बाबत स्वयं उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा दिनांक 30.6.2017 को निर्णय पारित कर खसरा संख्या 2331 में 0.81 है0 भूमि पर प्रार्थीया का भौतिक धारण मानते हुए भूमि जब भी आवंटन की जावे तो भविष्य में प्रार्थीया को प्राथमिकता से आवंटन किए जाने का निर्देश प्रदान किया था।

अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों का परीक्षण व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.6.2017 को किए गए निर्णय के अवलोकन से यह तथ्य प्रतीत होते हैं कि उक्त खसरा नम्बर 2331 रकबा 0.81 है0 सिवायचक है व उक्त आराजीयात बाबत अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था तथा निर्णय में यह अंकन किया गया था कि *" वादीगण को उक्त भूमि को आवंटन के समय उक्त ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत जो भी नियमानुसार प्राथमिकता बनती है तत्समय नियमों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का निस्तारण किया जाएगा।* "लेकिन उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए **(रास्ते)** से संबंधित है, जो इससे बाधित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पत्रांक 1024 दिनांक 3.8.2023 के अनुसार वर्तमान रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2339/5381 रकबा 0.49 वर्तमान रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त की भूमि है। वर्तमान रेस्पोडेंट खसरा संख्या 6627/2331 किस्म सिवायचक भूमि की पूर्वी मेर से आवागमन कर रहा था जो गत 5–7 वर्षों से बंद पडा है। खसरा संख्या 2327 किस्म गै0मु0 सडक बघेरा से टोडारायसिंह राज्यमार्ग से नवीन स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 6628/2331 रकबा 0.0216 है0 से होकर आवागमन सुविधाजनक है प्रार्थी द्वारा आबादी भूमि में से पारित रास्ते को नहीं लेने के संबंध में सहमति जाहिर की तथा सिवायचक भूमि खसरा नंबर 6628/2331 की पूर्वी मेर पर तरमीम होकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है व उक्त स्थान पर पत्थर की डोल है जिसे अतिक्रमण मुक्त किया जाना न्यायोचित है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार केकडी को रास्ता खुलासा किया जाने व पूर्व में आदेश दिनांक 16.12.2021 में खसरा संख्या 2330 किस्म गै0मु0 आबादी में दर्ज 15 फीट रास्ते की तरमीम हटाए जाने के कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें जितने रास्ते से सुगम आवागमन हो सके, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 15 फीट चौडे रास्ते बाबत आदेश प्रदान किए है व उक्त मौका रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी व मौका

रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा भी पत्रावली पर उपलब्ध है। उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के बाद ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2023 (2023/06) में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर